

मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक ए-11-4/17/ नियम / चार

भोपाल, दिनांक 11.05.2017

प्रति,


- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन।
- (2) समस्त प्रबंध संचालक, सार्वजनिक उपक्रम/मंडल/ निगम, म.प्र.।

विषय:- राज्य के सार्वजनिक उपक्रम/मंडलों/ निगमों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतनमानों/ अन्य भत्तों में वृद्धि- प्रक्रिया का निर्धारण।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 19-23/2010/1/4, भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2017

विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों/ मण्डलों/निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तो/ सुविधाओं में वृद्धि/ संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष रखे जाना है।

2. समिति के संज्ञान में लाये बिना कतिपय विभागों के सार्वजनिक उपक्रम/मंडलों/निगमों द्वारा सीधे संचालक मण्डल की बैठक में वेतनमान/ अन्य भत्तों में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जो उचित नहीं है। सर्वप्रथम सार्वजनिक उपक्रमों/ मंडलों/ निगमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान/ अन्य भत्तों में वृद्धि संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन सर्व प्रथम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति से प्राप्त किया जाये। तत्पश्चात ही संचालक मण्डल द्वारा ऐसे निर्णय पारित किये जाये।


(अनिरुद्ध मुकजी)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वित्त विभाग


2

पृष्ठांकन क्र. 11-4/17/नियम /चार,

भोपाल,दिनांक 11.5.2017

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव। सार्वजनिक उपक्रम/मंडल/निगम।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
 5. प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार /सार्वजनिक उपक्रम, मंत्रालय, भोपाल।
 6. समस्त अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्त विभाग
 7. उप संचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय, भोपाल।
 8. महालेखाकार म.प्र. भोपाल/ग्वालियर।
 9. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(अजय चौबे)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग